

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

60

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पश्चिम चंपारण(बेतिया)/वैशाली (हाजीपुर)।

पटना, दिनांक :- 15-10-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	05	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	500000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (बेतिया) के पत्रांक-318/सा०सु० दिनांक 25.04.15 के आलोक में (1) स्व० धनेश बैठा, आश्रित मु० पूनम देवी (पत्नी) ग्राम-मझौवा नया टोला, पो०-मझौवा, थाना-चौतरवा, जिला- पश्चिम चंपारण (बेतिया) (2) स्व० रामचन्द्र पासवान, आश्रित मु० बीना देवी (पत्नी) ग्राम-जमादार टोला, पो०-सिसवा बसंतपुर थाना-चौतरवा, जिला- पश्चिम चंपारण (3) स्व० हिरामन राम, आश्रित मु० प्रतिमा कुंवर (पत्नी) ग्राम-विसम्भरापुर, पो०-मेहुड़ा थाना-भैरोगंज, जिला-पश्चिम चंपारण (4) स्व० कन्हैया राउत, आश्रित मु० सबनी देवी (पत्नी) ग्राम-सेमरी डुमरी, पो०-गौनाहा, थाना-गौनाहा, जिला-पश्चिम चंपारण एवं (5) स्व० धरीक्षण राम, आश्रित मु० अन्ना देवी (पत्नी) ग्राम-पखनाहा बाजार, पो०-पखनाहा, थाना-वैरिया, जिला-पश्चिम चंपारण के भुगतान हेतु।
2	वैशाली (हाजीपुर)	01	तदैव	100000/-	अपर समाहर्ता वैशाली का पत्रांक-1296 दिनांक-24.08.15 के आलोक में (1) स्व० कुन्दन पासवान आश्रित श्रीमती सुनैना देवी (माता) ग्राम-निलोरूकुन्दपुर, पो०-डभैच, थाना-तिसिऔता, प्रखंड-पातेपुर जिला-वैशाली के भुगतान हेतु।
कुल योग		06		600000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 6,00,000/- (रूपये छः लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र०सं०-

60

पटना, दिनांक

15-10-15

14/10/15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रकाश कुमार)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-3012/2015 श्र०सं०-

60

पटना, दिनांक

15-10-15

14/10/15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक, /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध (श्रम पक्ष) को उनके गै०सं०प्रे०सं०-189 (श्रमपक्ष) दिनांक-06.10.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(प्रकाश कुमार)  
श्रमायुक्त, बिहार।